

राजस्थान सरकार
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(61)पीएस/निकाशि/12/ 31 8


दिनांक :- 26-9-2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय.....

विषय :- कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत पूर्व सेवा का लाभ देने संबंधी लम्बित प्रकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार यह निर्देशित किया जाता है कि कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत पूर्व सेवा का लाभ देने संबंधी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। अतः माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ/खण्डपीठ के निर्णयो व अवमानना याचिकाओं के प्रकरणों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.के विचाराधीन लम्बित भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिये जाये।


निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।